CHAPTER – XIV

INSPECTION, SEARCH, SEIZURE AND ARREST

Section 67 : Power of inspection, search and seizure

(1) Where the proper officer, not below the rank of Joint Commissioner, has reasons to believe that—

(a) a taxable person has suppressed any transaction relating to supply of goods or services or both or the stock of goods in hand, or has claimed input tax credit in excess of his entitlement under this Act or has indulged in contravention of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder to evade tax under this Act; or

(b) any person engaged in the business of transporting goods or an owner or operator of a warehouse or a godown or any other place is keeping goods which have escaped payment of tax or has kept his accounts or goods in such a manner as is likely to cause evasion of tax payable under this Act,

he may authorise in writing any other officer of central tax to inspect any places of business of the taxable person or the persons engaged in the business of transporting goods or the owner or the operator of warehouse or godown or any other place.

(2) Where the proper officer, not below the rank of Joint Commissioner, either pursuant to an inspection carried out under sub-section (1) or otherwise, has reasons to believe that any goods liable to confiscation or any documents or books or things, which in his opinion shall be useful for or relevant to any proceedings under this Act, are secreted in any place, he may authorise in writing any other officer of central tax to search and seize or may himself search and seize such goods, documents or books or things:

Provided that where it is not practicable to seize any such goods, the proper officer, or any officer authorized by him, may serve on the owner or the custodian of the goods an order that he shall not remove, part with, or otherwise deal with the goods except with the previous permission of such officer:

Provided further that the documents or books or things so seized shall be retained by such officer only for so long as may be necessary for their examination and for any inquiry or proceedings under this Act.

(3) The documents, books or things referred to in sub-section (2) or any other documents, books or things produced by a taxable person or any other person, which have not been relied upon for the issue of notice under this Act or the rules made thereunder, shall be returned to such person within a period not exceeding thirty days of the issue of the said notice.

(4) The officer authorised under sub-section (2) shall have the power to seal or break open the door of any premises or to break open any *almirah*, electronic devices, box, receptacle in which any goods, accounts, registers

or documents of the person are suspected to be concealed, where access to such premises, *almirah*, electronic devices, box or receptacle is denied.

(5) The person from whose custody any documents are seized under sub-section (2) shall be entitled to make copies thereof or take extracts therefrom in the presence of an authorised officer at such place and time as such officer may indicate in this behalf except where making such copies or taking such extracts may, in the opinion of the proper officer, prejudicially affect the investigation.

(6) The goods so seized under sub-section (2) shall be released, on a provisional basis, upon execution of a bond and furnishing of a security, in such manner and of such quantum, respectively, as may be prescribed or on payment of applicable tax, interest and penalty payable, as the case may be.

(7) Where any goods are seized under sub-section (2) and no notice in respect thereof is given within six months of the seizure of the goods, the goods shall be returned to the person from whose possession they were seized:

Provided that the period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the proper officer for a further period not exceeding six months.

(8) The Government may, having regard to the perishable or hazardous nature of any goods, depreciation in the value of the goods with the passage of time, constraints of storage space for the goods or any other relevant considerations, by notification, specify the goods or class of goods which shall, as soon as may be after its seizure under sub-section (2), be disposed of by the proper officer in such manner as may be prescribed.

(9) Where any goods, being goods specified under sub-section (8), have been seized by a proper officer, or any officer authorised by him under sub-section (2), he shall prepare an inventory of such goods in such manner as may be prescribed.

(10) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), relating to search and seizure, shall, so far as may be, apply to search and seizure under this section subject to the modification that sub-section (5) of section 165 of the said Code shall have effect as if for the word "Magistrate", wherever it occurs, the word "Commissioner" were substituted.

(11) Where the proper officer has reasons to believe that any person has evaded or is attempting to evade the payment of any tax, he may, for reasons to be recorded in writing, seize the accounts, registers or documents of such person produced before him and shall grant a receipt for the same, and shall retain the same for so long as may be necessary in connection with any proceedings under this Act or the rules made thereunder for prosecution.

(12) The Commissioner or an officer authorised by him may cause purchase of any goods or services or both by any person authorised by him from the business premises of any taxable person, to check the issue of tax invoices or bills of supply by such taxable person, and on return of goods so

purchased by such officer, such taxable person or any person in charge of the business premises shall refund the amount so paid towards the goods after cancelling any tax invoice or bill of supply issued earlier.

अध्याय 14
निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी

धारा 67 : निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति

(1) जहां संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अन्यून समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि–

(क) किसी कराधेय व्यक्ति ने माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या अपने पास रखे गए माल के स्टॉक के संबंध में किसी संव्यवहार को छिपाया है या इस अधिनियम के अधीन उसकी हकदारी से अधिक इनपुट कर प्रत्यय का दावा किया है या वह इस अधिनियम के अधीन कर अपवंचन के लिए इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के किसी उल्लंघन में लिप्त रहा है; या

(ख) माल के परिवहन के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति या किसी भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान का स्वामी या प्रचालक ऐसे माल को रख रहा है जो कर के संदाय से बच गए हैं या उसने अपने लेखाओं या माल को ऐसी रीति में रखा है जिससे इस अधिनियम के अधीन संदेय कर का अपवंचन होने की संभावना है,

वहां वह लिखित में केन्द्रीय कर के किसी अधिकारी को कराधेय व्यक्ति के कारबार या माल के परिवहन के कारबार में लगे हुए व्यक्तियों या भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान के प्रचालक या स्वामी के किसी कारबार के स्थानों का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) जहां संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अन्यून समुचित अधिकारी के पास या तो उपधारा (1) के अधीन किए गए निरीक्षण के अनुसरण में या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि अधिहरण के लिए दायी किसी माल या किसी दस्तावेज या बहियों या चीजों को जो उसके मत में इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगी, किसी स्थान पर छिपाकर रखा गया है तो वह केन्द्रीय कर के किसी अन्य अधिकारी को तलाशी और अभिग्रहण करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा या ऐसे माल, दस्तावेजों या बहियों या चीजों की तलाशी ले सकेगा और उनका अभिग्रहण कर सकेगा :

परन्तु जहां ऐसे माल का अभिग्रहण करना व्यवहार्य नहीं है तो समुचित अधिकारी या उसके प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी माल के स्वामी या अभिरक्षक पर एक आदेश की तामील कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय माल को नहीं हटाएगा, उसे स्वयं से अलग नहीं करेगा या अन्यथा उनका व्यौहार नहीं करेगा :

परन्तु इस प्रकार अभिग्रहण किए गए दस्तावेज या बहियां या चीजें ऐसे अधिकारी द्वारा केवल तब तक प्रतिधारित की जाएंगी जब तक वह उनकी परीक्षा के लिए और इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के लिए आवश्यक हो।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट दस्तावेज या बहियां या चीजें या कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज, बहियां या चीजें, जिन पर इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सूचना जारी करने के लिए अवलंब नहीं लिया गया है, को ऐसे व्यक्ति को उक्त सूचना जारी करने की तारीख से तीस दिन से अनधिक अवधि के भीतर वापस कर दिया जाएगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को, किन्हीं परिसरों के द्वारों को सील करने की या उन्हें तोड़नें की या किसी अलमारी, इलैक्ट्रॉनिकी युक्ति, बाक्स, संदूक, जिसमें व्यक्ति के कोई माल, लेखा, रजिस्टर या दस्तावेजों को छिपाए जाने का संदेह है, जहां ऐसे

परिसर, अलमारी, इलैक्ट्रॉनिकी युक्ति, बाक्स, संदूक तक पहुंच प्रदान करने से इंकार किया जाता है, वहां उन्हें तोड़कर खोलने की शक्ति होगी।

(5) वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से उपधारा (2) के अधीन किन्हीं दस्तावेजों का अभिग्रहण किया गया है, उनकी प्रतियां बनाने या उनसे प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में ऐसे स्थान और ऐसे समय पर, जो ऐसा अधिकारी इस निमित्त उपदर्शित करे, उद्धरण लेने का हकदार होगा, सिवाय जहां ऐसी प्रतियां बनाना या ऐसा उद्धरण लेना समुचित अधिकारी के मत में जांच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

(6) उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार अभिग्रहण किया गया माल अनंतिम आधार पर, यथास्थिति, बंधपत्र निष्पादित करने पर और क्रमशः ऐसी रीति और ऐसी मात्रा की प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर, जो विहित की जाए या लागू कर, ब्याज और संदेय शास्ति के संदाय पर निर्मुक्त किया जा सकेगा।

(7) जहां उपधारा (2) के अधीन किन्हीं मालों का अभिग्रहण किया गया है और मालों के अभिग्रहण से छह मास की अवधि के भीतर उनके संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है वहां माल को उस व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा जिसके कब्जे से उनका अभिग्रहण किया गया था :

परन्तु पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर छह मास की अवधि का समुचित अधिकारी द्वारा छह मास से अनधिक और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा।

(8) सरकार, किन्ही मालों के नश्वर होने या परिसंकटमय प्रकृति का होने, समय के साथ माल के मूल्य में अवक्षयण, माल के लिए भंडारण स्थान की कमी या किन्हीं अन्य सुसंगत विचारणों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा माल या मालों के ऐसे वर्ग को घोषित् कर सकेगी, जिसका समुचित अधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन अभिग्रहण के यथासंभव शीघ्र पश्चात् ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, व्ययन किया जाएगा।

(9) जहां किन्हीं मालों का, जो उपधारा (8) के अधीन विनिर्दिष्ट माल है, समुचित अधिकारी द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन अभिग्रहण किया गया है, वहां वह ऐसे मालों की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक सूची तैयार करेगा।

(10) तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध, जहां तक हो सके इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि उक्त संहिता की धारा 165 की उपधारा (5) में ''मजिस्ट्रेट'' शब्द, जहां–जहां वह आता है, के स्थान पर ''आयुक्त'' शब्द रख दिया गया हो।

(11) जहां समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने कर का अपवंचन किया है या वह किसी कर के संदाय के अपवंचन का प्रयास कर रहा है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उसके समक्ष प्रस्तुत ऐसे व्यक्ति के लेखाओं, रजिस्टरों या दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकेगा और उन्हें इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अभियोजन के लिए कार्यवाहियों के संबंध में जब तक आवश्यक हो, प्रतिधारित करेगा।

(12) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी कराधेय व्यक्ति के कारबार परिसर से, उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का क्रय, ऐसे कराधेय व्यक्ति द्वारा कर बीजकों के जारी करने या पूर्ति बिलों की जांच करने के लिए करवा

सकेगा और ऐसे अधिकारी द्वारा इस प्रकार क्रय किए गए माल के वापस करने पर ऐसा कराधेय व्यक्ति या कारबार परिसर का प्रभारी कोई व्यक्ति माल के लिए इस प्रकार संदत्त रकम का, पूर्व में जारी किए गए कर बीजक या पूर्ति बिल को रद्द करने के पश्चात् प्रतिदाय करेगा।